

कोर्ट नोटिस प्रकाशनार्थ
समाहरणालय भागलपुर
न्यायालय वरीय उप समाहर्ता, जिला विधि शाखा, भागलपुर।
अति अल्पकालीन सूचना
प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति सं0— DB No-14/न्या०/विधि

दिनांक— 13.07.2021

चूँ वजरिये इस कोर्ट नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 56 (घ) के अन्तर्गत अवैध रूप से देशी/विदेशी शराब का परिवहन करने के आरोप में निम्नलिखित वाहन भिन्न-भिन्न थाना काण्डों में जप्त कर अधिहरण प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, नवगछिया/उत्पाद अधीक्षक, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त होने के फलस्वरूप विविध उत्पाद अधिहरण वाद प्रारंभ किया गया है। नोटिस किये जाने के बावजूद इन वाहनों के लिए कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त जप्त वाहन अधिहरण योग्य है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

क्र०	उत्पाद वाद सं०	थाना का नाम व काण्ड सं०	जप्त वाहन का प्रकार	जप्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नं०	गाडी मालिक का नाम व पता	सुनवाई की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	192 / 20-21	लोदीपुर 176 / 20	हीरो होण्डा पैसन प्र० मोटरसाईकिल	BR51D-5164 (जिसका इंजन नं०-HA10ACJHG31964, चेचिस नं०-MBLHAS128JHG00315)	संजीव कुमार चौधरी, पै०-स्व० ओम प्रकाश चौधरी, सा०+थाना—बाराहाट, जिला—बीका	20.07.21
2	63 / 20-21	नवगछिया 50 / 20	यमाहा मोटरसाईकिल	BR10Q-1487 (जिसका इंजन नं०-JEZPDA14618 एवं चेचिस नं०-MD2A37CZ5DPA96412)	दीपक सिंह, सा०-अरुण कुमार सिंह, सा०—बसंतपुर, पीरपेटी, जिला—भागलपुर	20.07.21
3	199 / 20-21	कौतवाली 456 / 20	मोटरसाईकिल	BR10AC-1360 (जिसका इंजन नं०-JC71EG0000252 चेचिस नं०— ME4JC719DKG000112)	निकी कुमार, पै०-कल्पु मंडल, सा०—य०एन० बागची रोड, डेबर गेट राम कृष्ण विद्यालय के पास खरमनचक, थाना—जोगसर, जिला—भागलपुर	20.07.21
4	209 / 20-21	गोपालपुर (रगरा औ०पी०) 429 / 19	टी०भी०एस० स्पॉट मोटरसाईकिल	विना वाहन का नम्बर (जिसका इंजन नं०-PF5BK1500220 चेचिस नं०— MD625PF53K3B19129)	सुशील कुमार, सा०—सिमरिया टोला, पौ०-भीम दास टोला, थाना—रंगरा चौक, जिला—भागलपुर	20.07.21
5	23 / 20-21	परवत्ता थाना 09 / 20	डजला रंग की टाटा इंडिका कार	DLACAL-1046 (जिसका इंजन नं०-4751DT14CQZP31941 चेचिस नं०— 608531CQZP26038)	नितिन राणा, पिता—श्री दशबार सिंह राणा, एच० नं०-810, गली नं०-26, डी०डी०ए० फ्लैट, मदनगढ़ि डॉक्टर अम्बेदकर नगर, दिल्ली	20.07.21
6	22 / 20-21	सबौर (गोराडीह) 19 / 20	मरुती सुजूकी	WB02Y-4032 (जिसका इंजन नं०-F10DN3284176 चेचिस नं०— MA3EMD81S00158985)	कौशिक साहा, पै०-स्व० एस०के० साहा, सा०-1F/2, MEGHA MALLAR, 18/3 GARIAHAT ROAD, KOLKATA, PIN-700019	20.07.21

7	07 / 19-20	रसलपुर 881 / 19	अपाची मोटरसाईकिल	BR10AD-5047 (जिसका इंजन नं0-CE4GK2117249 चेचिस नं0- MD634CE45K2G17637)	रूपेश कुमार, पे0-दिलीप साह, सा0-चायेटोला कैथपुरा, थाना-रसलपुर, जिला-भागलपुर	20.07.21
8	220 / 20-21	मोजाहिदपुर 367 / 19	मैजिक	JH17F-9401 (जिसका इंजन नं0-275ID106CWYS63782 चेचिस नं0- MAT445066DZC23629)	दिलीप कुमार साह, पे0-रामेश्वर प्रसाद साह, सा0-कातेली, पौ0-ककदारा, थाना-बाँका, जिला-बाँका	20.07.21
9	21 / 20-21	जगदीशपुर (गोराडीह) 95 / 18	मोटरसाईकिल	BR10R-7416 (जिसका चेचिस नं0-MD634KE49D2E82871, इंजन नं0-OE4ED2471596)	शोहरब अब्दीन, पे0-जैनुल अब्दीन, सा0-5, नुर अली गली हुसैनाबाद, मिरजानहाट, थाना-मोजाहिदपुर, जिला-भागलपुर	20.07.21
10	423 / 19-20	रसलपुर 559 / 19	स्प्लैण्डर मोटरसाईकिल	JH17C-3092 (जिसका चेचिस नं0-MBLHA10EJH9B13266 इंजन नं0-HA10EAA9B18308)	विष्णु मंडल, पे0-स्व0 नरेश मंडल, सा0-साथेजोड़ा, थाना+जिला-गोद्डा	20.07.21

अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता हैं कि यदि कॉलम पॉच (5) में अंकित जप्त वाहन/वाहनों में से कॉलम छ: (6) में अंकित वाहन स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति/संस्था का हित निहित हो तो उक्त वर्णित निर्धारित तिथि को स्वयं या वकालतन के साथ अधिवक्ता के माध्यम से वरीय उप समाहर्ता न्यायालय, जिला विधि शाखा, भागलपुर में उपस्थित होकर अपने-अपने वाहन के वाहन संख्या के आधार पर मालिकाना हक से संबंधित दावा पक्ष व कागजात प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुपस्थित होने की स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त जप्त वाहन से आपको कोई सरोकार नहीं है। तत्पश्चात् उक्त जप्त वाहन को सुनवाई उपरान्त बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58 (2) के अन्तर्गत राज्यहित में अधिहरण कर लिया जायेगा।

इसे सख्त ताकीद समझे।



समाहर्ता,
भागलपुर।